पत्र सं0–15/डी0एल0ए0 समस्तीपुर (प्र0सह अंचल कार्या)–199/2013–2919/रा0,पटना–15, दि0–13/12/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं0.. डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर दिनांक ....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–साहिट, परगना–बालागाछ, राजस्व थाना–दलसिंहसराय, थाना नं0–90, अंचल–विद्यापतिनगर, जिला–समस्तीपुर अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विद्यापतिनगर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–साहिट के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश रकवा **4.08** एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 950/4487, 1140 एवं 1139 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– अंश खेसरा सं0 4487, 1140 एवं 1139 तथा पूर्ण खेसरा सं0 1141

दक्षिण :– अंश खेसरा सं0 1140 तथा पूर्ण खेसरा सं0 950 एवं 1138

पूरब :– अंश खेसरा सं0 1140 एवं वर्तमान पथ खेसरा सं0 1143

पश्चिम :– अंश खेसरा सं0 4487

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ0 के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।

अपर समाहर्त्ता
समस्तीपुर।
3/9/2013

समाहर्त्ता
समस्तीपुर।

सरकार के अवर सचिव

P.T.O

ज्ञापांक:-2912/27 डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना,   दिनांक -13-12-13

प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त

21/12/13

सरकार के अवर सचिव